न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी — रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29 / 23 वाद GCMS NO : 2023/00040
पूर्व प्रकरण संख्या : 39 / 17

1. लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल पिता स्व. श्री मोडिराम जी मेघवाल, निवासी 101, रामपुरा चौराया मेनरोड़, उबेश्वर मार्ग, पोस्ट सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय :—

1 / 1. बसन्ती मेघवाल पत्नी स्व. श्री लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल, निवासी 101, रामपुरा चौराया मेनरोड़, उबेश्वर मार्ग, पोस्ट सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर उदयपुर (राज.)

1 / 2. श्री मदनलाल मेघवाल पुत्र स्व. श्री लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल, निवासी 101, रामपुरा चौराया मेनरोड़, उबेश्वर मार्ग, पोस्ट सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर उदयपुर (राज.)

1 / 3. सुरेश मेघवाल पुत्र स्व. श्री लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल, निवासी 101, रामपुरा चौराया मेनरोड़, उबेश्वर मार्ग, पोस्ट सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर उदयपुर (राज.)

1 / 4. तारा मेघवाल पुत्री स्व. श्री लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल पत्नि श्री गंगाराम मेघवाल, निवासी 101, रामपुरा चौराया मेनरोड़, उबेश्वर मार्ग, पोस्ट सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर उदयपुर (राज.)

1 / 5. रेखा मेघवाल पुत्री स्व. श्री लच्छीराम पत्नि श्री नरेश मेघवाल, निवासी सूर्या गैस गोदाम के पास, देवडों का खेड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. श्री शंकरलाल मेघवाल, निवासी बेड़वास, तहसील गिर्वा, उदयपुर (मृतक)
2. मांगीलाल मेघवाल पुत्र स्व. श्री शंकरलाल मेघवाल, निवासी बेड़वास, तहसील गिर्वा, उदयपुर
3. डाली बाई मेघवाल पत्नी श्री सुखलाल मेघवाल पुत्री पुत्री स्व. शंकरलाल मेघवाल, निवासी अम्बामाता, ओड़ बस्ती, तहसील गिर्वा, उदयपुर
4. श्रीमती लाली बाई मेघवाल पत्नी श्री मोहनलाल मेघवाल पुत्री स्व. श्री शंकरलाल मेघवाल, निवासी गोरेला रोड़, इन्दिरा कॉलोनी के पास, तहसील गिर्वा, उदयपुर

5. श्रीमती कन्नीबाई मेघवाल पत्नी श्री चुन्नीलाल मेघवाल पुत्री स्व. शंकरलाल मेघवाल, निवासी कुराबड, तहसील कुराबड़, उदयपुर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.......प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 92ए व 188 एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री धर्मेन्द गहलोत अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 22.07.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बेड़वास, पटवार मण्डल भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा में खाता संख्या नया 383 पुराना 319 के आराजी संख्या 2319, 2320 कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 0.3000 हैक्टयर भूमि स्थित है जो, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं अधिपत्य की है। वादी लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल पिता स्व. श्री मोडीराम जी मेघवाल, के नाम से जाना जाता है। वादी का अन्य रेकार्ड में नाम लच्छीराम मेघवाल अंकित है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी एवं शंकरलाल मेघवाल के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है, जिसमें दोनों पक्षकार का 1/2, 1/2 हिस्सा अविभाजित है। शंकरलाल के देहावसान हो जाने से प्रतिवादीगण उसके विधिक वारिसान है और इनके अलावा कोई अन्य विधिक वारिस शंकरलाल मेघवाला के नहीं है। उक्त आराजीात का बंटवाड़ा करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 28.02.2017 को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया और वादी के कब्जेकाश्त में दखलन्दांजी करने लगे। उक्त कृषि भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन नहीं हुआ है, जिससे वादी वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाड़ा मौके पर कब्जे के अनुसार करवाना चाहता है। अतः निवेदन है कि वादग्रसत भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया जाकर वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब पेश करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वादी के अधिपत्य की नहीं होकर केवल प्रतिवादीगण के अधिपत्य की भूमि है, जो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता जी शंकरलाल के खातेदारी की थी। वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों अलग अलग परिवार के व्यक्ति है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में किसी प्रकार का भाई भाइ का रिश्ता नहीं है। वादग्रस्त आरजीयात के मूल पुरूष मोड़ा जी ने दो विवाह किए उनकी पहली पत्नी नवली बाई हुई जिसका पुत्र शंकरलाल व पुत्रिया हुई व पहली पत्नी के स्वर्गवास होने के पश्चात् उन्होने नाता विवाह

चमनी बाई के साथ किया। नाते की पत्नी के साथ वादीगण लच्छीराम मेघवाल आया था। जिसमें जायन्दा पिता नाथू मेघवाल है, जिसका वादग्रस्त जमीन से कोई लेना देना नहीं है। मोड़ा जी के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त भूमि केवल शंकरलाल के नाम होनी चाहिए थी, लेकिन नामान्तरण गलती से शंकरलाल व लच्छीराम के नाम खोला गया। प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज हुआ जबकि सम्पूर्ण भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। मौके पर प्रतिवीदगण का अधिपत्य है तथा उपयोग उपभोग कर रहे है। अतः निवेदन है की वादग्रस्त आराजीयात सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खातेदारी काश्तकार की घोषणा फरमाई जावे।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत् राजीनामा तस्दीक करने बाबत् पेश कर निवेदन किया गया कि आराजी संख्या 2319 रकबा 0.0200 हैक्टयर, आराजी संख्या 2320 रकबा 0. 2800 हैक्टयर ग्राम बेड़वास, पटवार मण्डल भोईयों की पंचोली, जिला उदयपुर में होकर वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है तथा राजस्व रेकार्ड में भी नाम दर्ज हो चुका है, उसके बाबत् प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रतिवादीगण के द्वारा जो काउण्टर वाद पेश किया है उसको हम प्रतिवादीगण स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के विड्रो करते है। प्रतिवादीगण अपने काउण्टर वाद व जमीन में 1/2 को जो प्रतिवादीगण के नाम है के अलावा दाद को विड्रो करते है यानि वादीगण का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा निहित है वह यथावत रहेगा। वादीगण के 1/2 वां राजस्व रेकार्ड में अकित हिस्से को प्रतिवादीगण स्वीकार करते है जिसमें किसी भी हक हिस्से को प्रतिवादीगण क्लेम नहीं करेंगा। वादीगण अपना 1/2 वां हिस्सा विक्रय, रहन, बेह, बक्षीस व हस्तान्तरित कर सकेगा इसी प्रकार प्रतिवादीगण भी अपने हिस्से को विक्रय कर सकेगा। प्रतिवादीगण ने अपने 1/2 हिस्से में कुछ भाग को विक्रय कर दिया है जिसमें से कुछ हिस्सा रहा है जिसे हम पक्षकारान् ने आपसी सहमति से विभाजित कर लिया है। वादीगण ने अपना 1/2 हिस्सा मौके पर तय कर लिया है जिसका कब्जा वादीगण का पूर्ववत चला आ रहा है जिसे प्रतिवादी को कोई उजर व एतराज करने का अधिकान नहीं है। प्रतिवादीण गेलड पुत्र के बाबत् कोई उजर, एतराज भविष्य में नही करेंगा न ही ऐसा कोई बचाव ही ले सकेगा। मौके पर वादीगण का कब्जा होकर वादीगण ने अपने हिस्से की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है और प्रतिवादीगण ने भी अपने शेष हिस्से पर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है उसी अनुसार पक्षकारान् सहमत है। पक्षकारान् इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अपना भाग पृथक पृथक करा सकेगे और इस हेतु पटवारी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना हिस्सा अलग करा सकेंगे जिसमें पक्षकरान् एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अतः निवेदन है कि राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के काउण्टर वाद का निस्तारा किया जाकर समझौता अनुसार डिक्री पारित की जावे।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली एवं राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा को तस्दीक कर पढ़कर सुनाया गया। उक्त राजीनामा अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा वादी का स्वर्गवास होने

से उक्त हिस्सा वादी के वारिसान के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउण्टर में वादग्रस्त भूमि में 1/2 जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है, के अलावा वादीगण के 1/ हिस्से की भी घोषणा चाही गई है। उक्त दाद को प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउण्टर क्लेम में विड्रो करने की सहमति जाहिर की गई। वादग्रस्त भूमि में जो 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है वह यथावत रहेगा।

अतः उक्त राजीनामे के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात राजस्व ग्राम बेड़वास, पटवार मण्डल भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा में खाता संख्या नया 383 पुराना 319 के आराजी संख्या 2319, 2320 कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 0.3000 हैक्टयर भूमि भूमि राजीनामे के आधार पर 1/2 हिस्सा वादी लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल के नाम तथा लच्छीराम की मृत्यु पश्चात् उनके वारिसन के नाम दर्ज रेकार्ड है उसको यथावत रहखा जाता है, शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण गंगाबाई तथा उनकी मृत्यु पश्चात् उनके वारिसान के नाम यथावत रखा जाता है एवम् उक्त वाद राजीनाम के आधार पर डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। राजीनाम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

प्रकरण संख्या : 29/23

अनवान : लच्छीराम बनाम गंगाबाई व अन्य

निर्णय : वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92 ए व 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकदमा 29/23 सन 2023 अनवान (1) लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल पिता स्व. श्री मोडिराम जी मेघवाल, निवासी 101, रामपुरा चौराया मेनरोड़, उबेश्वर मार्ग, पोस्ट सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय :– (1/1) बसन्ती मेघवाल पत्नी स्व. श्री लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल, निवासी 101, रामपुरा चौराया मेनरोड़, उबेश्वर मार्ग, पोस्ट सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर उदयपुर (राज.) (1/2) श्री मदनलाल मेघवाल पुत्र स्व. श्री लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल, निवासी 101, रामपुरा चौराया मेनरोड़, उबेश्वर मार्ग, पोस्ट सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर उदयपुर (राज.) (1/3) सुरेश मेघवाल पुत्र स्व. श्री लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल, निवासी 101, रामपुरा चौराया मेनरोड़, उबेश्वर मार्ग, पोस्ट सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर उदयपुर (राज.) (1/4) तारा मेघवाल पुत्री स्व. श्री लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल पत्नि श्री गंगाराम मेघवाल, निवासी 101, रामपुरा चौराया मेनरोड़, उबेश्वर मार्ग, पोस्ट सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर उदयपुर (राज.) (1/5) रेखा मेघवाल पुत्री स्व. श्री लच्छीराम पत्नि श्री नरेश मेघवाल, निवासी सूर्या गैस गोदाम के पास, देवडों का खेड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर बनाम (1) श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. श्री शंकरलाल मेघवाल, निवासी बेड़वास, तहसील गिर्वा, उदयपुर (मृतक) (2) मांगीलाल मेघवाल पुत्र स्व. श्री शंकरलाल मेघवाल, निवासी बेड़वास, तहसील गिर्वा, उदयपुर (3) डाली बाई मेघवाल पत्नी श्री सुखलाल मेघवाल पुत्री पुत्री स्व. शंकरलाल मेघवाल, निवासी अम्बामाता, ओड़ बस्ती, तहसील गिर्वा, उदयपुर (4) श्रीमती लाली बाई मेघवाल पत्नी श्री मोहनलाल मेघवाल पुत्री स्व. श्री शंकरलाल मेघवाल, निवासी गोरेला रोड़, इन्दिरा कॉलोनी के पास, तहसील गिर्वा, उदयपुर (5)श्रीमती कन्नीबाई मेघवाल पत्नी श्री चुन्नीलाल मेघवाल पुत्री स्व. शंकरलाल मेघवाल, निवासी कुराबड, तहसील कुराबड़, उदयपुर (6) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री कैलाश नागदा अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

उक्त राजीनामे के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात राजस्व ग्राम बेड़वास, पटवार मण्डल भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा में खाता संख्या नया 383 पुराना 319 के आराजी संख्या 2319, 2320 कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 0.3000 हैक्टयर भूमि भूमि राजीनामे के आधार पर 1/2 हिस्सा वादी लच्छीराम उर्फ लच्छु मेघवाल के नाम तथा लच्छीराम की मृत्यु पश्चात् उनके वारिसन के नाम दर्ज रेकार्ड है उसको यथावत रहखा जाता है, शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण गंगाबाई तथा उनकी मृत्यु पश्चात् उनके वारिसान के नाम यथावत रखा जाता है एवम् उक्त वाद राजीनाम के आधार पर डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। राजीनाम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि ....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख ....माह ....सन् .... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....

पद ....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर	–	–	मेहनताना वकील) पर	–	–
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		